आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-19/2013-14

प्रभु राम

बनाम

बिहार सरकार

<u>आदेश</u>

11.10.14

यह अपील वाद श्री प्रभु राम पिता-स्व0 प्रसाद राम ग्राम-जौकटिया थाना-मझौलिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के आदेश ज्ञापांक 820, दिनांक 25.11.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके तहत अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 04/2008 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुखिया ग्राम पंचायत राज जौकटिया प्रखंड-मझौलिया द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है कि श्री प्रभु राम जनवितरण प्रणाली बिक्रेता पंचायत जौकटिया द्वारा उपभोक्ताओं को माह-जुन-2011 एवं जुलाई-2011 का अन्त्योदय/बी0पी0एल0 खाद्यान्न का वितरण नही किया जा रहा है। इस कारण उपभोक्ता खाद्यान्न से वंचित रह रहे है।

इस आरोप के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया से जांच करायी गयी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा 74 अन्त्योदय/बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नही दिया गया है। सभी उपभोक्ताओं के पास माह-जुन-2011 एवं जुलाई-2011 का कूपन उपलब्ध है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच दो महिने का राशन का वितरण नही किया गया है। जांच के दौरान विक्रेता का दुकान बंद पाया गया तथा वे अनुपस्थित पाये गये साथ ही दुकान के सूचनापट्ट पर

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

भंडार-सह-मूल्य तालिका अंकित नही पाया गया। इन आरोपो के संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

विक्रेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि जिन 73 उपभोक्ताओं ने राशन नही मिलने की बात कही है वे उनके दुकान से सम्बद्ध नही है लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मझौलिया द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि आपतिकर्ता मुस्तकीम अंसारी एवं अन्य प्रभु राम के दुकान से सम्बद्ध है। इनके द्वारा जनवितरण प्रणाली के विक्रेता के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुशंसा भी किया गया है।

जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा माह-जून-2011 एवं जूलाई-2011 का अन्त्योदय/वी0पी0एल0 खाद्यान्न लाभूको को नही दिये जाने, जांच की तिथि को बिना किसी सूचना के दुकान बंद रखने एवं दुकान पर सूचनापट्ट/भंडार -सह-मूल्य प्रदर्शन पट्ट नही टांगने तथा अनुज्ञप्ति के शर्तो एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के उलघंन करने के आरोप में अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या-04/2009 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपीलकर्ता का कहना है कि (जनवितरण प्रणाली विक्रेता) के द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि उनके उपर ग्रामीण राजनिति से प्रेरित होकर 73 उपभोक्ताओं द्वारा गलत आरोप लगाया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने उनके विरूद्ध अनाज नही मिलने का आरोप लगाये है वे लाभूक उनके दुकान से सम्बद्ध नही है। वे लोग विगत छः माह से जनवितरण प्रणाली विक्रेता जमशेद आलम जो उसी पंचायत राज जौकटिया प्रखंड-मझौलिया से सम्बद्ध है। इस संबंध में विक्रेता प्रभु राम द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के समक्ष भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की छायाप्रति भी समर्पित किया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि 73 उपभोक्ता उनके दुकान से सम्बन्द्ध नही है लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर इस

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

बिन्दु पर ध्यान नही दिया गया। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उनके विरूद्ध अनाज का काजाबाजारी करने का कोई आरोप नही है।

ग्रामीण उपभोक्ता ग्राम पंचायत राज जौकटिया प्रखंड मझौलिया द्वारा एक सामुहिक आवेदन पत्र दिया गया है जिस पर 619 ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं निशान अंकित है। इनके द्वारा बताया गया है कि विक्रेता प्रभु राम द्वारा उन्हें राशन /किरासन तेल प्रति माह सही मात्रा में उचित मूल्य पर प्रत्येक महिने भुगतान होता है। हमलोगों को इनसे कोई शिकायत नही है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर द्वारा 73 उपभोक्ताओं के जनवितरण प्रणाली विक्रेता प्रभु राम के दुकान से सम्बद्ध होने के संबंध में कोई साक्ष्य नही दिया गया है। साथ ही जनवितरण प्रणाली विक्रेता प्रभु राम के विरूद्ध खाद्यान्न के कालाबजारी करने का कोई आरोप नही है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के आदेश ज्ञापांक 820, दिनांक 25.11.2011 को रदद् करते हुए अपीलकर्ता प्रभु राम जनवितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या-04/2008 को पुर्नजिवित किया जाता है।

लेखापित एवं संधोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
11/10/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
11/10/14